



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 661]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 2017/श्रावण 5, 1939

No. 661]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2017/SRAVANA 5, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2017

सं. 68/2017-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 962(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 96/2008-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2008, जिसे सा.का.नि. 590 (अ), दिनांक 13 अगस्त, 2008 के द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम सं. 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्याओं और प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा, यथा:-

| क्र. सं. | देश का नाम |
|----------|---------------|
| “35 | नाइजर गणराज्य |
| 36 | गिनी गणराज्य” |

[फा. सं. 354/189/2005-टीआरयू (खण्ड II)]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

टिप्पण : प्रधान अधिसूचना सं. 96/2008-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2008 को सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 13 अगस्त, 2008 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 46/2016- सीमा शुल्क, दिनांक 23 अगस्त, 2016, जिसे सा.का.नि. 813(अ), दिनांक 23 अगस्त, 2016 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2017

No. 68/2017-Customs

G.S.R. 962(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 96/2008-Customs, dated the 13th August, 2008, published *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 13th August, 2008, namely:—

In the said notification, in the Schedule, after serial number 34 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be added, namely:—

| S. No. | Name of Country |
|--------|----------------------|
| “35 | Republic of Niger |
| 36 | Republic of Guinea”. |

[F. No. 354/189/2005-TRU (Vol. II)]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Note: The principal notification No. 96/2008-Customs, dated the 13th August, 2008 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 13th August, 2008 and was last amended by notification No. 46/2016-Customs, dated the 23rd August, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 813(E), dated the 23rd August, 2016.